भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3592
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक न्यायालय

3592. श्री अरविंद गणपत सावंत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में फास्ट ट्रैक न्यायालयों/नए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना और कामकाज के संबंध में देश भर में लंबित मामलों की संख्या दर्शाते हुए राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन न्यायालयों की स्थापना के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का ऐसे न्यायालयों की स्थापना और अधिक संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यों को अधिक धनराशि आवंटित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने सामान्य न्यायालयों की तुलना में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की कुशलता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : अधीनस्थ न्यायालयों जिसके अंतर्गत त्वरित निपटान न्यायालय(एफटीसी) भी है, की स्थापना करना और उनका कार्यकरण, अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। ऐसे न्यायालयों के लिए निधियों का आबंटन, राज्य सरकारों द्वारा उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। भारत सरकार द्वारा गठित 14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015-2020 के दौरान 1800 एफटीसी की स्थापना की सिफारिश की थी, ताकि जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं,बच्चों,वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, लाइलाज बीमारियों से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित सिविल मामलों और 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई की जा सके। वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से आग्रह किया था कि वे इस प्रयोजन के लिए कर अंतरण के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए राजकोषीय स्थान का उपयोग करें। संघ सरकार ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से वित्तीय वर्ष 2015-16 से एफटीसी की स्थापना के लिए निधियां आबंटित करने का भी आग्रह किया है। इस संबंध में, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों ने 31.01.2025 तक 860 एफटीसी की स्थापना की है। जनवरी, 2025 तक लंबित मामलों सहित पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कार्यशील किए गए एफटीसी की संख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **उपाबंध-1** पर है। संघ सरकार ने 2015-16 से बार-बार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिक एफटीसी की स्थापना करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन में कार्यसूची मदों में से एक मद के रूप में और अधिक एफटीसी की स्थापना का भी उल्लेख किया गया है। त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए कोई केंद्रीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल की अधिकारिता में आती है, जो उस राज्य पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से करते है। केन्द्रीय सरकार की जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका स्तर जिसके अंतर्गत त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) भी है, पर न्यायिक अधिकारियों के चयन, भर्ती और नियुक्ति में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। एफटीसी में न्यायाधीशों और अन्य प्रवर्गों के अधिकारियों की रिक्तियों के ब्यौरे केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के कार्यान्वयन के लिए और विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पालन करने के लिए, सरकार ने अगस्त, 2019 में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम तैयार की। इस स्कीम का उद्देश्य समयबद्ध रीति से बलात्संग और यौन अपराधों से बालकों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रव्यापी त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) जिसके अंतर्गत विशेष पॉक्सो न्यायालयों भी है, की स्थापना करना है।

इस स्कीम को 790 न्यायालयों की स्थापना को लक्षित करते हुए, 31 मार्च 2026 तक नवीनतम विस्तार के साथ दो बार बढ़ाया गया है। स्कीम का वित्तीय परिव्यय निर्भया निधि से उपगत होने वाले केंद्रीय हिस्से के रूप में 1207.24 करोड़ रुपये के साथ 1952.23 करोड़ रुपये है। उच्च उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत डाटा के अनुसार, 31.01.2025 तक, 745 एफटीएससी जिसके अंतर्गत 404 विशेष पॉक्सो न्यायालय भी है, 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यशील हैं। कार्यशील त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) जिसके अंतर्गत विशेष पोक्सो न्यायालय भी है, के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **उपाबंध-2** पर है।

न्यायालयों के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को इसकी स्थापना के बाद से 1034.55 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है, जिसमें वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में जारी 200.00 करोड़ रुपये शामिल हैं। निधियां दैनिक खर्चों को समाविष्ट करते हुए सीएसएस पैटर्न (60:40, 90:10) के आधार पर और एक न्यायिक अधिकारी, सात सहायक कर्मचारियों के वेतन और फ्लेक्सी अनुदान सम्मिलित करते हुए जारी की जाती है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की जाती हैं जो संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कार्यशील न्यायालयों की संख्या द्वारा अवधारित की जाती हैं।

(घ) और (ङ): महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के सर्वोपरि महत्व को ध्यान में रखते हुए, त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) स्कीम को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 01.04.2023 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। इस विस्तार की पूर्व शर्तों में से एक के रूप में, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा 2023 में तृतीय-पक्ष मूल्यांकन आयोजित किया गया था।

****

उपाबंध -1

जनवरी, 2025 तक लंबित मामलों के साथ पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कार्यशील त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	कार्यशील एफटीसी				31/01/2025 तक लंबित
		31/12/2022 तक	31/12/2023 तक	31/12/2024 तक	31/01/2025 तक	
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	22	21	21	7089
2.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4.	असम	16	15	15	16	12699
5.	बिहार	0	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	23	23	27	25	4701
8.	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	10	27	26	26	6814
10.	गोवा	4	6	4	4	1765
11.	गुजरात	54	54	54	54	5693
12.	हरियाणा	6	6	6	6	807
13.	हिमाचल प्रदेश	3	3	3	3	351
14.	जम्मू - कश्मीर	4	8	8	8	1464
15.	झारखंड	34	36	40	39	8249
16.	कर्नाटक	0	0	0	0	0
17.	केरल	0	0	0	0	0
18.	लद्दाख	0	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	1	0	0	0	0
21.	महाराष्ट्र	111	95	101	100	174556
22.	मणिपुर	6	6	6	6	226
23.	मेघालय	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	2	2	2	2	268
25.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	0	0	0	0	0
27.	पुडुचेरी	0	0	1	1	3065
28.	पंजाब	7	7	7	7	141
29.	राजस्थान	0	0	0	0	0
30.	सिक्किम	2	2	2	2	16
31.	तमिलनाडु	73	72	72	72	78855
32.	तेलंगाना	0	0	0	0	0
33.	त्रिपुरा	3	3	3	3	1342
34.	उत्तर प्रदेश	372	372	373	373	1082109
35.	उत्तराखंड	7	4	4	4	1066
36.	पश्चिमी बंगाल	88	88	88	88	84409
कुल		848	851	863	860	1475685

उपाबंध- 2

विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्यशील त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों के राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों-वार ब्यौरे 31.01.2025 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	कार्यशील **न्यायालय**	
		विशेष पॉक्सो सहित एफटीएसीएस	**विशेष पॉक्सो**
1	आन्ध्र प्रदेश	16	16
2	असम	17	17
3	बिहार	46	46
4	चंडीगढ़	1	0
5	छत्तीसगढ़	15	11
6	दिल्ली	16	11
7	गोवा	1	0
8	गुजरात	35	24
9	हरियाणा	16	12
10	हिमाचल प्रदेश	6	3
11	जम्मू - कश्मीर	4	2
12	झारखंड	22	16
13	कर्नाटक	30	17
14	केरल	55	14
15	मध्य प्रदेश	67	56
16	महाराष्ट्र	4	1
17	मणिपुर	2	0
18	मेघालय	5	5
19	मिजोरम	3	1
20	नागालैण्ड	1	0
21	ओडिशा	44	23
22	पुडुचेरी*	1	1
23	पंजाब	12	3
24	राजस्थान	45	30
25	तमिलनाडु	14	14
26	तेलंगाना	36	0
27	त्रिपुरा	3	1
28	उत्तराखंड	4	0
29	उत्तर प्रदेश	218	74
30	पश्चिमी बंगाल	6	6
31	अंदमान और निकोबार द्वीप**	0	0
32	अरूणाचल प्रदेश***	0	0
	कुल	**745**	**404**

* पुडुचेरी ने विशेष रूप से **स्कीम** में शामिल होने का अनुरोध किया और तब से मई 2023 में विशेष **पॉस्को न्यायालय को प्रचालित किया जाना है** ।
** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस स्कीम में शामिल होने की सहमति दे दी है।
अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर रहने का विकल्प चुना है।
टिप्पण : स्कीम के आरंभ में, देश भर में एपटीएससी का आबंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 65 से लंबित मामलों के लिए एक एपटीएससी की स्थापना की जाएगी।इसके आधार पर केवल 31 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ही इस स्कमी में शामिल होने के पात्र थे।

****